भारतीय सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार फौजदारी अपील संख्या 1268/2013

मंज्अपीलार्थी बनाम दिल्ली राज्यप्रतिवादी

निर्णय

आर. सुभाष रेड्डी, न्या.

1. यह फौजदारी अपील इकलौते अभियुक्त के द्वारा दाखिल की गयी है, जो दिनांक 12 मार्च, 2010 को फौजदारी अपील संख्या. 168/2010 में नई दिल्ली में स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गए निर्णय से असंतुष्ट है, इसमें अपीलार्थी को दोषी पाया गया था तथा उसे भा.द.सं. की धारा 302 के तहत किए गए दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया गया था।

2. इसमें अपीलार्थी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रसूति विभाग में भर्ती कराया गया था और दिनांक 24 अगस्त 2007 को दोपहर लगभग 12:30 बजे एक लड़की को जन्म दिया था। अभियोजन पक्ष का ऐसा कहना है कि क्योंकि नवजात शिशु एक लड़की थी, इसलिए अपीलार्थी - माँ ने

नवजात शिशु को गला घोंट कर तब मार दिया था जब उसे कथित तारीख को शाम 04:30 बजे नवजात शिश् सौंपा गया था। दिनांक 26 अगस्त, 2007 को शव का शव परीक्षण किया गया और चिकित्सक ने यह माना कि मृत्य का कारण दम घुटना था जो मृत्युपूर्व गला घोंटने से हुआ था। दिनांक 31 अगस्त, 2007 को भा.द.सं की धारा 302 के तहत नवजात शिशु को मारने के अपराध के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट, नई दिल्ली के न्यायालय ने उस पर भा.द.सं की धारा 302 के तहत दोषारोपण पर सुनवाई की थी। अपने बयान में, उसने स्वयं को दोषी नहीं माना है और विचारण का दावा प्रस्त्त किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली ने 2009 के सत्र अभियोग संख्या. 78 में उस पर विचारण किया था। अपीलार्थी के प्रति दोष सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल 23 साक्षियों की गवाही कराई है। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को उसके सामने प्रस्त्त किया गया तथा द.प्र.सं की धारा 313 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया था। उसने स्वयं को निर्दोष बताया और यह बयान दिया था कि पुलिस ने अस्पताल के अधिकारियों से मिलीभगत कर उसको झूठे म्कद्दमे में फंसाया है ताकि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर से इल्जाम हटाया जा सके।

- 3. इस तथ्य को दर्ज करते हुए कि अभियोजन पक्ष सम्पूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला को सिद्ध कर पाने में सफल रहा है तथा अपने मामले को बगैर किसी संदेह के साबित कर चुका है, विचारण न्यायालय ने, अपने 19.12.2009 को दिए गए निर्णय में, अपीलार्थी अभियुक्त को भा.द.सं की धारा 302 के तहत किए गए अपराध में दोषी पाया है और दिनांक 22.12.2009 को दिए गए आदेश के माध्यम से आजीवन कारावास और 2000/- के जुर्माने कि सजा दी है।
- 4. दोष सिद्धि और दिए गए दंड के संदर्भ में अपीलार्थी ने अपील के मामले को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा दिए गए निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी को दिए गए दंड और दोष सिद्धि की पुष्टि कर दी।
- 5. हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान विरष्ठ अधिवक्ता सुश्री महालक्ष्मीपावनी को सुना और दिल्ली राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री अनमोल चंदन को स्ना।
- 6. अपीलार्थी की विद्वान विरष्ठ अधिवक्ता सुश्री महालक्ष्मीपावनी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है और घटना कथित रूप से अस्पताल के वार्ड में घटित हुई है, वहाँ जहाँ प्रसूति हुई थी। दोष सिद्धि का आधार केवल पारिस्थितिक साक्ष्य है और परिस्थितियों की

श्रृंखला अपूर्ण है। यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के पास अपनी नवजात बेटी की हत्या करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उसके पास पहले से ही लड़का था और उसके विवाह से पूर्व ही उसके सास-ससुर का देहांत हो चुका था। अभि. सा. - 8 और अभि. सा. 9 के मौखिक साक्ष्य का संदर्भ लेते हुए, यह निवेदन किया गया कि कथित गवाहों के बयानों के अन्सार भी यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि नवजात शिशु को ऑक्सीजन मास्क के साथ इनक्यूबेटर में रखा गया था। इसके आगे यह भी कि अपीलार्थी - माँ दी गई दवाईयों के प्रभाव के कारण निद्राग्रस्त थी और जब उसने शिशु को देखा, तब नवजात शिश् मर च्का था। ऐसा निवेदन किया गया कि विचारण न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय से भी अपीलार्थी को परिस्थितियों की शृंखला के अभाव में दोष-सिद्धि देने की भूल हुई है, जिससे कि उसको सजा हुई है। इस न्यायालय का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित किया गया है कि हालांकि घटना 24 अगस्त, 2007 को घटित हुई थी लेकिन शव परीक्षण 26 अगस्त, 2007 को ही किया गया था तथा 27 अगस्त, 2007 को ही अपराध दर्ज किया गया था। यह निवेदन किया गया कि अगर साक्ष्यों की संपूर्णता पर ध्यान दिया जाए तो, अभियुक्त - अपीलार्थी का दोष उचित संदेह के परे सिद्ध नहीं होता है तथा माननीय उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के निर्णय भी अटकलों और अनुमानों पर आधारित हैं।

- 7. दूसरी तरफ, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि शिशु के जन्म के बाद नवजात शिशु को शाम 04:30 बजे तक इनक्यूबेटर में रखा गया था तथा शाम 04:30 बजे के बाद नवजात लड़की को अपीलार्थी को सौंप दिया गया था। इसके बाद ही अस्पताल की परिचर्या कर्मचारी को वो मृत अवस्था में मिली। इसके आगे यह भी निवेदन किया गया कि हालाँकि पारिस्तिथिक साक्ष्य ही दोष सिद्धि का आधार होता है किन्तु अभियुक्त अपीलार्थी के दोष को सिद्ध करने के लिए श्रृंखला को स्थापित किया गया है, तथा ऐसा कोई भी आधार नहीं है जिससे कि विचारण न्यायालय के उस कुशल निर्णय में दख़ल दी जा सके जिस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय ने भी सुनिश्चित किया है।
- 8. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमने आक्षेपित निर्णयों और दर्ज हुए अन्य तथ्यों का अवलोकन किया है।
- 9. इस मामले में अभिलेख से यह तो स्पष्ट है कि अपीलार्थी की दोष सिद्धि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर हुई है। विचारण न्यायालय ने मुख्यतः दोनों परिचर्या कर्मचारी अभि. सा. 8 और 9 की उस गवाही पर भरोसा किया है जिसमें उन्होंने यह बयान दिया है कि नवजात बच्ची को लगभग शाम 04:30 बजे उसकी माँ को दे दिया गया था और शाम 06:30 बजे बच्ची मृत पाई गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 7 के रूप में अपीलार्थी के

पति की गवाही ली गई थी। अपने बयान में उसने बताया है कि 24 अगस्त, 2007 को वो अपनी पत्नी यानि अपीलार्थी को प्रसव के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गया था और उसी दिन दोपहर के लगभग 12:00 बजे अपीलार्थी ने एक लड़की को जन्म दिया था। उसे प्रसव कक्ष में बुलाया गया था और परिचर्या ने उसको नवजात शिश् दिखाया भी था और उस समय शिश् की आँखें बंद थीं। वह न हिल रही थी और न ही रो रही थी। उसने यह भी बताया कि शिश् की नाक पर एक लाल निशान भी था। शाम लगभग 05:00 बजे उसे दोबारा परिचर्या ने बुलाया और बताया कि शिश् की मृत्यु हो चुकी है और पूछने पर भी कर्मचारी ने मृत्यु का कारण नहीं बताया था। उसने आगे यह भी बताया कि उसको उसकी पत्नी से मिलने नहीं दिया गया और उसे 26 अगस्त, 2007 को शिश् के शव परीक्षण के बाद ही मिलने दिया गया। शिश् के पैदा होने वाले दिन ड्यूटी पर मौजूद किसी भी चिकित्सक की गवाही नहीं ली गई, केवल परिचर्या कर्मचारी अभि.सा. - 8 की गवाही हुई थी। अपने बयान में उसने बताया है कि नवजात शिशु देखभाल के लिए इनक्यूबेटर के अंदर थी। उसने यह भी बयान दिया है कि शाम को लगभग 04:30 बजे नवजात शिशु को इनक्यूबेटर से बाहर निकाल कर उसकी माँ को सौंप दिया गया था। इसके बाद शाम लगभग 06:30 बजे वार्ड चिकित्सक ने दौरों के दौरान शिश् को अस्वस्थ पाया। अभि. सा. 8 ने अपने प्रति परीक्षण में यह बयान दिया है कि शिशु इनक्यूबेटर में ऑक्सीजन मास्क पर थी। संगीता रानी नाम की अन्य परिचर्या कर्मचारी की अभि.सा.- 9 के रूप में गवाही हुई जिसने यह बयान दिया था कि घटना के दिन वह शाम 03:00 बजे काम पर आई थी और नवजात शिशु को इनक्यूबेटर में रखा गया था तथा साथ ही ऑक्सीजन मास्क भी लगा था।

10. अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य को देखते हुए और शव परीक्षण की आख्या को ध्यान में रखते ह्ए अपीलार्थी के द्वारा नवजात शिशु को लड़की होने के कारण गला घोटकर मारने को अपराध का कारण मानते हुए उसे दोषी माना। ऐसा कोई भी साक्ष्य दर्ज नहीं है जिससे अपीलार्थी के विरुद्ध ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सके। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के साथ-साथ अभि. सा.-7 के बयान से यह स्पष्ट है कि उनका पहले से ही 5 साल की उम्र का एक लड़का था। उसने यह भी बयान किया कि क्योंकि उनके पास पहले से एक लड़का था, इसलिए अपने परिवार को पूर्ण करने के लिए उनको एक लड़की की चाह थी। उसने आगे यह भी बयान दिया कि उसके भाई की तीन बेटियां है जो यह दर्शाता है कि परिवार रूढ़िवादी नहीं था और लड़की पैदा होने के खिलाफ़ नहीं था। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसको ऑक्सीजन मास्क के साथ इनक्यूबेटर में रखा गया था और साथ यह भी स्पष्ट है कि न तो उसने अपनी आँखें खोली थीं और न वह रोई थी। हालांकि अभि. सा. 7 को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित कर दिया था किन्त् उसने अपने बयान में यह बताया है कि उसे शाम 05:00 बजे प्रसव कक्ष में यह बताने के लिए बुलाया गया था कि उसका शिशु मर चुका है और उसको उसकी पत्नी, जो अपीलार्थी भी है, से उस दिन 26 अगस्त, 2007 तक मिलने नहीं दिया गया, जिस दिन तक शिश् के शव को शव परीक्षण के लिए नहीं भेज दिया गया। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि शव को शव परीक्षण के लिए 26 अगस्त को भेजने का कोई भी कारण नहीं है जबिक शिशु की मृत्यु 24 अगस्त, 2007 को ही हो गयी थी। इसके साथ ही, यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध 31 अगस्त, 2007 को ही दर्ज ह्आ है। यह सत्य है कि शव परीक्षण में, चिकित्सक का मानना था कि मृत्यु का कारण दम घुटना था और गला घोंटने के निशान भी मौजूद थे लेकिन इसके साथ ही अगर अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की संपूर्णता पर ध्यान दिया जाए तो उद्देश्य स्थापित नहीं होता है और यह पूर्ण रूप से अस्वाभाविक है कि अपीलार्थी - माँ ने अपने ख़ुद के शिशु की गला घोंटकर हत्या की होगी। साथ ही अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि उसको दी गई दवाइयों को ध्यान में रखते हुए वह सुस्त और निद्राग्रस्त रही होगी। अभिलेख पर प्रस्तुत किसी भी स्पष्ट साक्ष्य के आभाव में, उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय से भी अपीलार्थी के इस उद्देश्य को स्थापित करने में त्रृटि हुई है कि उसने अपने शिश् को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वह एक लड़की थी। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी निराधार अन्मानों दोष सिद्धि का आधार को माना है। यह भी न्यायोचित रूप से स्थापित है कि केवल पारिस्थितिक साक्ष्य को दोष सिद्धि का एकमात्र आधार तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि परिस्थितियों की कड़ियाँ पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो जाती और तब तक सिद्ध दोष दर्ज नहीं हो सकता। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की सम्पूर्णता से यह स्पष्ट हो जाता है कि नवजात शिश् को ऑक्सीजन मास्क के साथ इनक्यूबेटर में रखा गया था और उसने अपनी आँखें भी नहीं खोली थी और वह जन्म के बाद रोई भी नहीं थी। ऐसे में प्राकृतिक मृत्यु की भी सम्भावना थी। हालाँकि चिकित्सक ने शव परीक्षण आख्या में यह कहा है कि मृत्यु का कारण दम घुटना है किन्तु अभिलेख पर किसी स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को भा. द.सं की धारा 302 के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराना बिल्क्ल भी सुरक्षित नहीं है। चूँकि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह के परे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए हमारा यह मानना है कि अपीलार्थी उस पर लगे आरोप से बरी होने के लिए संदेह के लाभ की हकदार है।

11. इन सभी उपरोक्त कारणों से, इस फौजदारी अपील को निपटाया जाता है। विचारण न्यायालय का 19.12.2019 का निर्णय, साथ ही उच्च न्यायालय के 12.03.2010 को फौजदारी अपील संख्या. 168/2010 में दिए गए आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जाता है, निष्कर्षतः अपीलार्थी को उस पर लगाये गए आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। चूँकि अपीलार्थी जमानत पर है इसलिए उसके जमानत बॉन्ड रदद किए जाते हैं।

[मोहन एम. शांतनागौदार]
न्या.
[आर. सभाष रेडडी]

नई दिल्ली दिसम्बर 17, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी/